संख्या-299 /2015-3199/नौ-5-15-213बजट/2014

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 07 सितम्बर, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2015-2016 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर निगम फिरोजाबाद पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन विस्तार नलकूप एवं टी0टी0एस0पी0 के अधिष्ठापन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम फिरोजाबाद के पत्र संख्या-401/सा0 प्र0/2015-2016, दिनांक-12.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर निगम फिरोजाबाद पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन विस्तार नलकूप एवं टी0टी0एस0पी0 के अधिष्ठापन हेतु निर्धारित लागत रू0 899.41 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में रू0 449.70 लाख (रू0 चार करोड़ उनचास लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि को अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी /उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृत्ति/ पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

go finance mangal font

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-07-फिरोजाबाद में पेयजल व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान के नाम डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशाकीय पत्र संख्या- ई-8-2397/दस-2015, दि0 03 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-299/2015-3199(1)/नौ-5-15-213बजट/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/फिरोजाबाद ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद ।
7- मुख्य अभियंता (आगरा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा ।
9- अधीक्षण अभियंता, दशम मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
10- अधिशासी अभियंता, अस्थायी निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम फिरोजाबाद।
11- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

go finance mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-07/09/2015

प्रेषण संख्या:- 299

आवंटन आदेश संख्या:- 001-299-2015-3199-9-5-15-213B-2014

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
07 - फिरोजाबाद में पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	44970000 344970000	44970000 344970000
	योग	वर्तमान प्रगामी	44970000 344970000	44970000 344970000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ उनचास लाख सत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौंतीस करोड़ उनचास लाख सत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी